(राजस्थान–सरकार)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 01/2020**

**बउनवान**

1. जगदीश पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी पीपल्या जागीर पं0 समिति छबड़ा, तह0 छबड़ा जिला बारॉ
2. रूपचन्द पुत्र प्रेमनारायण जाति धाकड़ निवासी पीपल्या जागीर पं0 समिति छबड़ा, तह0 छबड़ा जिला बारॉ

(निगराकार)

**बनाम**

1. सचिव, ग्राम पंचायत खोपर पंचायत समिति छबड़ा, जिला बारॉ
2. सरपंच, ग्राम पंचायत खोपर पंचायत समिति छबड़ा, जिला बारॉ
3. मन्जू पत्नी श्री बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी पीपल्या जागीर पं0 समिति, छबड़ा

(गैर निगराकार)

**निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994**

उपस्थित :– 1– श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (निगराकार)
2– स्वयं उपस्थित (गैर निगराकार)

**निर्णय दिनांक 25.02.2021**

निगराकारान द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत, खोपर द्वारा दिनांक 24.04.2008 को संकल्प सं0 2/10.3.2008 की पालना में 2500 वर्गफीट भूमि का पट्टा नं0 14 मंजूबाई पत्नी बद्रीलाल के नाम जारी किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर निगरानी विरूद्व गैर–निगराकारान के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

निगरानी प्रस्तुत करने पर दिनांक 21.10.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर–निगराकारान को जर्ये सम्मन तलब किया गया। सचिव, ग्राम पंचायत खोपर पंचायत समिति छबड़ा, जिला बारॉ से मूल रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में गैर–निगराकारान 1 ता 3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में ग्राम पंचायत, खोपर द्वारा पत्रांक 340 दिनांक 01.12.2020 से पट्टा विलेख एवं प्रस्ताव रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में इस न्यायालय के पत्रांक 1218 दिनांक 01.12.2020 से सचिव, ग्राम पंचायत खोपर से उक्त पट्टा विलेख से सम्बन्धित पूर्व में संधारित मूल पत्रावली चाही गई। जिसके सम्बन्ध में ग्राम पं0 खोपर द्वारा प्रकरण में पत्रांक 375 दिनांक 18.12.2020 से अवगत कराया कि उक्त पट्टा जारी [illegible] संबंधित कोई पत्रावली तैयार नहीं की गई।

प्रकरण में गैरनिगराकारान क्रमं 1 ता 3 दिनांक [illegible].12.2020 को एवं दिनांक 18.12.2020 को इस न्यायालय में उपस्थित रहे। इसके पश्चात अनुपस्थित रहे है। प्रकरण में निगराकार के अभिभाषक द्वारा पक्षकारान बनाए जाने हेतु अन्तर्गत [illegible] R.10 CPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण किया जाकर प्रकरण में निगराकार के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:15:11 IST
Reason: SelfAttested

**प्रकरण में दौराने बहस निगराकार के अभिभाषक** द्वारा प्रस्तुत निगरानी के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत खोपर, पंचायत समिति छबड़ा ने दिनांक 24.04.2008 को संकल्प सं0 2/10.3.2008 की पालना में 2500 वर्गफीट भूमि का पट्टा नं0 14 मंजूबाई पत्नी बद्रीलाल के नाम जारी किया गया है जो नियम विरूद्ध है। उक्त विवादित पट्टा कपटपूर्ण तरीके से जारी किया गया है जो पूर्णतया फर्जी व बनावटी है। ग्राम पंचायत खोपर के संकल्प सं0 2 दिनांक 10.3.2008 में जिन लोगों को पट्टा जारी किये जाने का संकल्प पारित किया गया है, उसमें गैरनिगराकार का नाम सम्मिलित नहीं है। इस संकल्प में शामिल नाम मन्जूबाई पत्नी महेन्द्र कुमार निवासी भौरां को 20x30 वर्गफीट का पट्टा जारी किये जाने का विवरण अंकित है जिसे कभी कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। किन्तु इसी संकल्प पर कपटपूर्ण, जालसाजी करके दिनांक 24.04.2008 को गैरनिगराकार को पट्टा सं0 14 से 2500 वर्गफीट की भूमि का पट्टा षड्यंत्रपूर्वक जारी कर दिया गया है जो अवैधानिक है।

विक्रय पट्टा नियम 157(2) के अन्तर्गत जारी किया जाना प्रकट है जिसके लिये कोई निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उक्त पट्टा भूमि आवास पर गैरनिगराकार ने मोबाईल टावर लंगवा लिया है। निगराकार व अन्य ग्रामीणों ने जब ग्राम पंचायत से इस बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उक्त सार्वजनिक भूमि पर मोबाईल टावर पंचायत ने नहीं लगवाया और न हीं इसके लिए पंचायत से कोई मंजूरी ली गई है। तब ज्ञात हुआ कि गैरनिगराकार ने फर्जीवाडे से पट्टा प्राप्त कर सार्वजनिक भूमि हड़प ली है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरनिगराकार क्रम 3 मन्जूबाई पत्नी बद्रीलाल को जारी पट्टा सं0 14 दिनांक 24.04.2008 को निरस्त किया जावें एवं सम्बन्धित जिम्मेदार इसमें संलिप्त कार्मिकों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही व आवश्यक दाण्डिक कार्यवाही के निर्देश पारित करने की कृपा करें।

**गैरनिगराकार क्रम 1** द्वारा पत्रांक 375 दिनांक 18.12.2020 से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि बजट घोषणा के तहत राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्ष 2008 में 9–9 ग्रामपंचायतों के सेक्टर बनाकर गरीब बी.पी.एल परिवारों को जिनके पास कोई भूखण्ड नहीं है और जिन्होंने वर्ष 2003 तक आबादी भूमि पर कच्ची झोंपड़ी बना रखी है। उन्हें नियम 157(2) के तहत निःशुल्क भूखण्ड पट्टा आवंटन करने हेतु वृत मण्डल ग्राम पंचायत मूण्डला में शिविर लगाया गया, जिसमें ऐसे गरीब परिवारों द्वारा शिविर प्रभारी के नाम साधा कागज पर आवेदन करने पर पट्टे जारी किये गये थे। उक्त प्रक्रिया के तहत मंजू पत्नी बद्रीलाल धाकड़ निवासी पीपल्या जागीर के पास कोई भूखण्ड नहीं होने पर आबादी भूमि में वर्ष 2003 के पहले से कच्ची झोंपड़ी बना रखी थी एवं गरीबी रेखा से नीचे बी.पी.एल परिवार की मुखिया होने पर शिविर प्रभारी के नाम साधा कागज पर आवेदन करने से दिनांक 24.04.2008 को पट्टा क्रमांक 14 से 2500वर्गफीट(278 वर्ग गज) का पट्टा जारी किया गया है जिसकी कोई पत्रावली तैयार नहीं की गई।

**गैरनिगराकार क्रम 2** के द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत, खोपर के द्वारा तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा दिनांक 24.04.2008 को पट्टा क्रम 14 पीपल्या जागीर निवासी श्रीमति मंजूबाई नागर पत्नि श्री बद्रीलाल नागर के नाम 2500 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:15:11 IST
Reason: SelfAttested

**गैरनिगराकार क्रम 3** द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत, खोपर के ग्राम पीपल्या जागीर में मेरे नाम पट्टा क्रमांक दिनांक 24.04.2008 को 2500 वर्गफीट का जारी किया गया है जिस पर दिनांक 28.07.2008 को एयरटेल कम्पनी से सहमति पत्र लेकर एयरटेल कंपनी को मोबाइल टावर लगाने हेतु स्थान उपलब्ध करवाया गया।

**मेरे द्वारा निगराकार के अभिभाषक** की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत, खोपर–पंचायत समिति, छबडा में संधारित बैठक कार्यवाही/प्रस्ताव रजिस्टर के संकल्प सं0 2/10.3.2008 के क्रम 2 पर अंकित नाम मंजूबाई पत्नि महेन्द्र कुमार नागर निवासी भौरा 20x30 वर्गफुट नियम 157 (1) अंकित किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत खोपर द्वारा उक्त प्रस्ताव की पालना मे मंजूबाई पत्नि बद्रीलाल निवासी पीपल्या जागीर के नाम 2500 वर्गफीट भूमि का पट्टा नं0 14 नियम 152(2) में जारी किया गया। जिसकी मूल पत्रावली इस न्यायालय के पत्रांक 1218 दि. 01.12.2020 से ग्राम पंचायत, खोपर से तलब की गई। उनके द्वारा कोई पत्रावली तैयार नहीं किया जाना उनके पत्रांक 375 दिनांक 18.12.2020 से इस न्यायालय को अवगत करवाया गया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत, खोपर द्वारा प्रस्ताव रजिस्टर में प्रस्ताव तो किसी अन्य महिला का लिया गया है और पट्टा विलेख किसी अन्य महिला के नाम जारी किया गया है जो अन्तर्गत धारा 92, 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियमों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

**परिणाम स्वरूप निगराकार** द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत, खोपर पंचायत समिति छबडा जिला बारॉ द्वारा दिनांक 24.04.2008 को संकल्प सं0 2/10.3.2008 की पालना में 2500 वर्गफीट भूमि का पट्टा नं0 14 मंजूबाई पत्नी बद्रीलाल निवासी पीपल्या जागीर के नाम जारी किया गया है, जो निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

( मोहम्मद अबूबक्र )
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

66 Fesla 2021